न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट) कानपुर देहात

सत्र वाद सं0 1150/2021

28.9.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। तलबी के बिन्दु पर परिवादी दिलीप कुमार धोबी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 8.8.2021 को समसय लगभग 5 बे शाम परिवादी अपने ट्रेक्टर से जानवरो का चारा लेकर आ रहा था, परिवादी के सामने से दो तीन मोटर साइकिल से आ रहे थे जिसमे नीरज यादव, नरायन व तीन अज्ञात लोग थे। परिवादी से साइड मांगा तो परिवादी ने साइड दे दिया परन्तु उक्त लोगो ने कहा कि साले धोबी बहूत नेता बनता है और मां बहन की गालियां दी, मना किया तो सभी बुरी तरह से ट्रेक्टर पर चढ़कर मारने लगे तथा नाजुक अंगों में भी लातों से मारा पीटा, ट्रेक्टर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। शोर पर परिवादी के चाचा ठाकुर प्रसाद आ गए तो उन्हें लातों से मारा जिससे वह बम्बे मे गिरे।

परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का धारा-200 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत एवं 202 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत पी0 डब्लू01 ठाकुर प्रसाद व अंकित कुमार को परीक्षित कराया गया है।

परिवादी ने अपने बयान धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 में कथन किया है कि दिनांक 8.8.2021 को समसय लगभग 5 बजे शाम परिवादी ट्रेक्टर म जानवरों का चारा लेकर आ रहा था कि नीरज, नारायन और तीन लोग अज्ञात ने हमको मारा पीटा व गाली गलौज व जातिसूचक गालियां दी। इस प्रकार परिवादी ने अपने बयान में परिवाद में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है।

धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत परीक्षित साक्षी ठाकुर प्रसाद व अंकित कुमार ने भी परिवाद के कथानक का समर्थन किया है।

इस प्रकार परिवाद में अंकित तथ्य और परिवादी व साक्षीगण के साक्ष्यों से विपक्षी नीरज यादव व नारायन के विरूद्व परिवादी के साथ मारपीट कर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने व नुकसान कारित करने तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला बनता है और विपक्षीगण नीरज यादव व नारायन धारा 323,504,427,506 भा0 दं0 सं0 व एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट की धारा 3(1)द के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किए जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण नीरज यादव व नारायन को धारा 323,504,427 व 506 भा0 दं0 सं0 व एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट की धारा 3(1)द के अन्तर्गत परीक्षण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण जरिए सम्मन दिनांक-23.11.2023 हेतु तलब हों। परिवादी पैरवी अंदर सप्ताह करे तथा गवाहान लिस्ट दाखिल करे।

दिनांक–28.09.2023

(रजत सिन्हा)
द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट),
कानपुर देहात।

Digitally signed by RAJAT SINHA
Date: 2023.09.29 15:43:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court